सामाजिक न्याय पत्रिका

भाजपा सरकार द्वारा एससी और एसटी समुदायों के लिए योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक पुस्तिका

तैयार
नीति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग,
भारतीय जनता युवा मोर्चा

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सन्देश

पिछले सात दशकों में, बहुत कुछ कहा गया है लेकिन एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए बहुत कम किया गया है। हालांकि, 2014 के बाद से, दलित और आदिवासी मुद्दों की राजनीति और आकांक्षाओं में एक बदलाव आया है। आज, ध्यान केवल अतीत के सांकेतिकवाद और प्रतीकवाद पर नहीं है, बल्कि एससी और एसटी समुदायों से आने वाले हर एक भारतीय के वास्तविक और मूर्त सशक्तिकरण पर है। शैक्षणिक अवसर बढ़ाने से लेकर नवोदित उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करने तक, माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पिछले सात वर्षों में बात की है।

मोदी सरकार के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों को उनकी शिक्षा के विभिन्न चरणों में छात्रवृत्ति के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। यह न केवल बढ़े हुए बजटीय आवंटन में परिलक्षित होता है, जो पिछली सरकारों की तुलना में कहीं अधिक है, बल्कि हस्तक्षेपों की गहन विचारशील प्रकृति में भी है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं में लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण एक विशेष क्षेत्र रहा है।

इसके अलावा, मोदी सरकार ने हमारे युवाओं की समस्या समाधान क्षमताओं में भारी विश्वास जताया है। स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की ऐतिहासिक पहलों की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री ने हमारे युवाओं को न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी आर्थिक अवसर पैदा करने में योगदान करने का आह्वान किया है। यह उन सभी युवाओं, विशेष रूप से हमारे एससी और एसटी समुदायों के लिए एक स्वर्ण युग है, जो अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने इन आकांक्षाओं को पंख देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड और स्टैंड अप इंडिया जैसी पथप्रदर्शक योजनाएं शुरू की हैं।

ये कुछ उदाहरण हैं कि आज मोदी सरकार किस तरह एससी एसटी समुदायों को सशक्त बना रही है। अंबेडकर जयंती के शुभ दिन पर शुरू की जा रही यह पुस्तिका हमें मोदी सरकार के परिवर्तनकारी शासन की कई और झलक देती है, जिसने हमारे एससी और एसटी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण को लगातार प्राथमिकता दी है। यह हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की 'सबका साथ सबका विकास' दृष्टि को स्पष्ट करता है, जो अंत्योदय के दर्शन में दृढ़ता से निहित है। इसमें मोदी सरकार द्वारा विशेष रूप से एससी और एसटी समुदायों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के लाभों का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।

मैं श्री वरुण झावेरी जी की अगुवाई वाली पूरी नीति, अनुसंधान और प्रशिक्षण टीम को इस पुस्तिका को संकलित करने और देश भर में हमारे एससी/एसटी समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए बधाई देता हूं।

तेजस्वी सूर्या

राष्ट्रीय अध्यक्ष - भारतीय जनता युवा मोर्चा
संसद सदस्य - बेंगलूरु दक्षिण

नीति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग,

भारतीय जनता युवा मोर्चा

विषय

1. स्टैंड अप इंडिया

अनुसूचित जातियों के लिए योजनाएं :

2. लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (श्रेष्ठ)

3. प्रधान मंत्री कौशल एंड कौशल संपन्न हितग्राही योजना (दक्ष)

4. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की केंद्रीय क्षेत्र योजना

5. अनुसूचित जाति के छात्रों को फैलोशिप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

6. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

7. पंचतीर्थ

अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनायें :

9. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

10. अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

11. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (बारहवीं कक्षा के बाद)

12. अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुदान और छात्रवृत्ति

13. राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति

14. प्रधान मंत्री वन धन योजना

15. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए योजना

16. वनबंधु कल्याण योजना

स्टैंड-अप इंडिया

स्टैंडअप इंडिया योजना माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । यह योजना वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा संचालित है । स्टैंड-अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है । यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी एससी/एसटी या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

मुख्य विशेषताएं

- 10 लाख से 1 करोड़ तक के बीच समग्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) मंजूर किया जाना है ।
- संभावित उधारकर्ताओं को ऋण के लिए बैंकों से जोड़ने के अलावा, सिडबी द्वारा स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं के लिए सिडबी द्वारा डिज़ाइन किया गया वेब पोर्टल प्रशिक्षण, कौशल विकास, सलाह, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और आवेदन भरने, उपयोगिता सहायता सेवाओं, सब्सिडी योजनाओं आदि में लगी एजेंसियों के एक नेटवर्क के माध्यम से हैंडहोल्डिंग सहायता भी प्रदान करता है ।
- मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सहित परियोजना लागत के 75% का समग्र ऋण। परियोजना लागत के 75% को कवर करने के लिए अपेक्षित ऋण की शर्त लागू नहीं होगी यदि किसी अन्य योजनाओं से अभिसरण समर्थन के साथ उधारकर्ता का योगदान परियोजना लागत के 25% से अधिक हो ।
- उस श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) से अधिक नहीं (आधार दर (एमसीएलआर) + 3%+ अवधि प्रीमियम) के लिए बैंक की ब्याज दर सबसे कम लागू दर होगी ।

प्राथमिक सुरक्षा के अलावा, बैंकों द्वारा तय किए गए स्टैंड-अप इंडिया लोन (सीजीएफएसआईएल) के लिए संपार्श्विक सुरक्षा या क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है।

- प्राथमिक सुरक्षा के अलावा, ऋण को बैंकों द्वारा निर्णित स्टैंड-अप इंडिया ऋण (सीजीएफएसआईएल) संपार्श्विक सुरक्षा या क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है।
- ऋण 7 वर्षों में चुकाने योग्य है और अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि है।
- 10 लाख तक की कार्यशील पूंजी की निकासी के लिए, इसे ओवरड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकृत किया जा सकता है। उधारकर्ता की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। 10 लाख से अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा नकद ऋण सीमा के रूप में स्वीकृत की जाएगी।
- इस योजना में 25% मार्जिन मनी की परिकल्पना की गई है जो पात्र केंद्र/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रदान की जा सकती है। जबकि ऐसी योजनाओं को स्वीकार्य सब्सिडी प्राप्त करने या मार्जिन मनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सकता है, सभी मामलों में, उधारकर्ता को परियोजना लागत का न्यूनतम 10% अपने स्वयं के योगदान के रूप में लाना होगा।

लाभार्थी

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
- योजना के तहत ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। ग्रीन फील्ड, इस संदर्भ में, निर्माण या सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में लाभार्थी के पहली बार उद्यम का प्रतीक है।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
- ऋणी किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान में चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

योजना का लाभ कैसे उठाएं?

1. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थीयों को आधिकारिक पोर्टल www.standupmitra.in के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है।
2. इस पोर्टल के माध्यम से फीडबैक की जानकारी दी जाएगी
3. इस पोर्टल को घर पर, सामान्य सेवा केंद्र पर, बैंक शाखा के माध्यम से और अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
4. यदि किसी बैंक शाखा की इंटरनेट एक्सेस प्रतिबंधित है तो शाखा संभावित उधारकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट पर मार्गदर्शन करेगी।
5. यह पोर्टल विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जो उधारकर्ता को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान कर रहे हैं जिसमें प्रशिक्षण, डीपीआर तैयार करना, मार्जिन मनी समर्थन, शेड/कार्यस्थल की पहचान, कच्चे माल की सोर्सिंग, बिल छूट, ई-कॉम पंजीकरण, कराधान के लिए पंजीकरण शामिल हैं।
6. पोर्टल के माध्यम से, आवेदन पत्र, और सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (श्रेष्ठ)

मोदी सरकार ने लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही इस योजना के माध्यम से, लाभार्थीयों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जो कक्षा 9वीं से 11वीं तक के मेधावी छात्रों के सभी शैक्षिक खर्चों को कवर करेगी।

प्रमुख विशेषताऐं

- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं से 11वीं तक के मेधावी छात्रों के सभी शैक्षिक खर्चों को कवर करेगी।
- केवल अनुसूचित जाति समुदायों के छात्र ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- सरकार इस योजना को शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 तक लागू करने जा रही है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए, छात्रों को एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है जिसे NETS या SHRESHTA के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के रूप में जाना जाता है।
- यह मूल रूप से एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाती है।
- एनईटीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में प्रवेश के लिए छांटा जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से, उन स्कूलों को छात्रवृत्ति सीधे वितरित की जाएगी जो छांटे गए छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं।
- यह छात्रवृत्ति स्कूल की फीस और छात्रावास की फीस को समाविष्ट करेगी।
- यह योजना केवल उन आवासीय विद्यालयों के लिए लागू है जो सीबीएसई से 12वीं कक्षा तक संबद्ध हैं, और पिछले तीन वर्षों में 10वीं और 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ पांच साल या उससे अधिक समय से चल रहे हैं।

लाभार्थी

श्रेष्ठ (NETS) 2022 कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है।

केवल वे उम्मीदवार जो दिए गए शैक्षणिक सत्र में आठवीं/दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण या उपस्थित हो रहे हैं, कक्षा IX/XI में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ कैसे उठाएं?

पंजीकरण की प्रक्रिया:

- सबसे पहले श्रेष्ठ योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://shreshta.nta.nic.in/ पर जाएं।

- होमपेज पर, आपको श्रेष्ठ 2022 के लिए पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।

- उसके बाद सामने आने वाले इस नए पेज पर आपको नए पंजीकरण पर क्लिक करना है । निर्देशों वाला एक नया पृष्ठ दिखाई देगा। इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

- अब आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है

- उसके बाद आपको 'क्लिक हियर टू प्रोसीड' पर क्लिक करना है।

- आवेदन पत्र आपके सामने आ जाएगा। इस आवेदन पत्र में, आपको अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण, घर का पता और संपर्क विवरण के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी।

- उसके बाद, आपको 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा।

- अब आपको पोर्टल में लॉग इन करना होगा।

- उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

- आपको आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण अपडेट करना होगा:
  - संपर्क विवरण
  - व्यक्तिगत विवरण
  - आधार विवरण
  - परीक्षा और केंद्र विवरण
  - योग्यता विवरण

- इसके बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, और 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप श्रेष्ठ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यहां उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिनकी एक लाभार्थी को आवश्यकता होती है:

- निवास प्रमाण
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- छात्रों का बैंक विवरण (आधार लिंक्ड)
- पिछली सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के संबंध में एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री आदि की एक प्रति
- शुल्क संरचना
- शुल्क रसीद
- सत्यापन पत्र (दिल्ली के बाहर आवेदन के लिए)

प्रधान मंत्री कौशल एंड कौशल संपन्न हितग्राही योजना (दक्ष)

अनुसूचित जाति समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ, मोदी सरकार ने 'पीएम-दक्ष' (प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही) पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इन पहलों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और लक्ष्य समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने का इरादा है: पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी।

प्रमुख विशेषताऐं

- पात्र लक्ष्य समूहों को लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, अप-स्किलिंग/रीस्किलिंग, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।
- ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

लाभार्थी-

निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित 18-45 वर्ष के आयु वर्ग के उम्मीदवार पीएम-दक्ष के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- अनुसूचित जाति के व्यक्ति
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.00 लाख

रुपये से कम है।

- गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (DNT)

- ट्रांसजेंडर (टीजी) समुदाय
- सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित) और उनके आश्रित।

योजना का लाभ कैसे उठाएं

पंजीकरण की प्रक्रिया:

- उम्मीदवार को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पीएम दक्ष योजना पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर जाना चाहिए: https://nbcfdc.gov.in/pm-daksh/en

● उसके बाद आप ऑफिसियल लिंक के होम पेज पर पहुंच जाते है। और फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएं और जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा।

- इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

● हालांकि संस्थान पंजीकरण के लिए भी एक अलग विकल्प है। लेकिन अगर आप प्रशिक्षण कार्यक्रम के इच्छुक उम्मीदवार हैं। फिर आपको उम्मीदवार पंजीकरण के विकल्प का चयन करना होगा।

- आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म भी दिखाई देता है जिसमें आपको आवेदन में पूछे गए सभी आवश्यक विवरण भरने होते हैं।
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- अंत में, प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है।
- जल्द ही विभाग आपको आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। और फिर आप अपने कौशल को बढ़ाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद, आप अपनी प्रोफ़ाइल के अनुसार एक उपयुक्त नौकरी पा सकते हैं।

https://pmdaksh.dosje.gov.in/student/login

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की केंद्रीय क्षेत्र योजना

कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है। तेजी से आर्थिक विकास और राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उनकी सहायता के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना को हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करने और छात्रों की बेहतर तरीके से सहायता करने के लिए मजबूत किया गया था।

प्रमुख विशेषताऐं

- कुल उपलब्ध स्लॉट का 60% उन पाठ्यक्रमों को आवंटित किया जाएगा जिनके लिए योग्यता परीक्षा स्नातक (स्नातक स्तर) है। कुल स्लॉट का 40% उन पाठ्यक्रमों के लिए होगा जिनके लिए योग्यता परीक्षा कक्षा 12 . है
- योजना के तहत प्रशिक्षित किए जाने वाले अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का अनुपात 70:30 होगा।
- शुल्क
  - ➢ योजना (मोड-1) के तहत पैनल में शामिल संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के मामले में, मंत्रालय और संस्थान के बीच पारस्परिक रूप से तय शुल्क का भुगतान संस्थान को किया जाएगा, जो निर्धारित पाठ्यक्रम की फीस और अवधि की सीमा के अधीन होगा। इस योजना के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अनुबंध मुक्त कोचिंग योजना 4-1 में। मंत्रालय द्वारा सीधे चुने गए छात्रों के लिए (मोड 2), उस संस्थान का वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क जिसमें छात्र आवेदन कर रहे हैं, जो संस्थान सामान्य छात्रों से पाठ्यक्रम लेता है, या मंत्रालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क अनुबंध -1 के अनुसार योजना, जो भी कम हो, संलग्नक-1 में निर्धारित पाठ्यक्रम की फीस और अवधि की सीमा के अधीन है। यदि पाठ्यक्रम शुल्क इस निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो उम्मीदवार को शेष राशि की व्यवस्था अपने स्रोतों से करनी होगी।
- वजीफा

- ➢ कोचिंग क्लास में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों के लिए प्रति छात्र 3000 / – का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, बाहरी छात्रों के लिए प्रति छात्र 6000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। स्टाइपेंड का भुगतान पाठ्यक्रम की अवधि के लिए या एक वर्ष के लिए, जो भी कम हो, के लिए किया जाएगा। प्रत्येक छात्र को वजीफा का भुगतान मंत्रालय द्वारा सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

- विशेष भत्ता

- ➢ विकलांग छात्र भी रुपये के विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे। 2000/- प्रति माह पाठक भत्ता, अनुरक्षण भत्ता, सहायक भत्ता, आदि के लिए वैध विकलांगता प्रमाण पत्र (40% विकलांगता के बराबर या अधिक)। यह उपरोक्त पैरा 8 ii) में उल्लिखित वजीफा के अतिरिक्त होगा।

लाभार्थी

- अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित छात्र
- ओबीसी श्रेणी के छात्रों की कुल पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष रु 8.00 लाख या उससे कम
- हालांकि, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एससी/ओबीसी उम्मीदवार इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की इसी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- छात्रों ने उस प्रतियोगी परीक्षा की अर्हक परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त किए होंगे, जिसके लिए कोचिंग मांगी गई है, जैसा कि उक्त प्रतियोगी परीक्षा के दिशानिर्देशों में निर्धारित है । हालांकि, यदि छात्र अभी भी उक्त योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुआ है, या यदि छात्र उपस्थित हुआ है और परिणाम घोषित नहीं किया गया है, तो योग्यता परीक्षा से ठीक पहले बोर्ड/डिग्री परीक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखा जाएगा । यदि प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या दिए गए स्लॉट से अधिक है, तो चयन योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के घटते क्रम में किया जाएगा ।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसके लिए योग्यता परीक्षा कक्षा 12 वीं है, इस योजना के तहत लाभ उम्मीदवार को तभी उपलब्ध होगा जब उम्मीदवार ने कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण की हो या कक्षा 12 वीं में अध्ययन कर रहा हो, एससी और ओबीसी छात्र योजना के लिए मुफ्त कोचिंग योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की तिथि पर । इसके अलावा,

प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में, जिसके लिए योग्यता परीक्षा स्नातक स्तर पर है, केवल छात्र/उम्मीदवार स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं

- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के समय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं ।
- ऐसी परीक्षाओं के लिए जो दो भागों, प्रारंभिक और मुख्य में आयोजित की जाती हैं, चयन में प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी जिन्होंने कम से कम एक बार प्रारंभिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की है ।
- इस योजना के तहत लाभ एक विशेष छात्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, दो बार से अधिक नहीं, चाहे वह किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में लेने के लिए कितने भी अवसरों का हकदार हो । छात्र को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि उसने योजना के तहत दो बार से अधिक लाभ नहीं लिया है ।
- उम्मीदवार को केंद्र या राज्य सरकारों की समान योजना के किसी अन्य छात्रवृत्ति लाभ का लाभ उठाने से रोका जाएगा । उम्मीदवार को एक हलफनामा अपलोड करना होगा जो यह दर्शाता है कि वह केंद्र/राज्य की किसी अन्य समान योजना से छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठा रहा है । योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थीयों की एक सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा इसी तरह की योजना के एक साथ लाभ उठाने की संभावना से बचने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जाएगी
- जहां प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है । प्रारंभिक और मुख्य, दोनों परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार मुफ्त कोचिंग के हकदार होंगे । वे अपनी सुविधा के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए दो बार तक मुफ्त कोचिंग के हकदार होंगे । हालांकि, साक्षात्कार के लिए कोचिंग के अवसरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यदि उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुना जाता है ।

योजना का लाभ कैसे **उठायें** ?

सहायता अनुदान दो भागों में होगा-शुल्क और वजीफा। शुल्क घटक का भुगतान सीधे कोचिंग संस्थानों को किया जाएगा और वजीफा का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के खातों में किया जाएगा ।

- संस्थान के साथ समझौते के ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, संस्थान को एक अद्वितीय कोड प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से यह एक पंजीकरण पोर्टल पंजीकृत करेगा: grants-sje@nic.in/ngo-login छात्र के विवरण के साथ उसका नाम, आधार संख्या, पता, खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित शैक्षिक योग्यता का विवरण, छात्रों से निर्धारित हलफनामा आदि ।
- इस योजना के पैरा 9 (डी) में विस्तृत रूप से प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में संबंधित संस्थानों को सहायता अनुदान जारी किया जाएगा । फीस की पहली किस्त संस्थान के पोर्टल पर उनके प्रस्ताव प्राप्त होने के तुरंत बाद जारी की जाएगी और मंत्रालय स्तर पर विवरणों का सत्यापन किया जाएगा । वजीफा की पहली किस्त भी डीबीटी मॉडल के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सीधे छात्रों को एक साथ जारी की जाएगी ।
- कोचिंग के पूरा होने के बाद, संस्थान उपयोग प्रमाणपत्र (यदि देय हो), किए गए व्यय का विवरण, पिछले वर्ष के धन के संबंध में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित संस्थान के पूर्ण लेखा परीक्षित खाते, पिछले वर्ष के छात्रों के प्रदर्शन (यदि लागू हो) और कोचिंग के दौरान छात्रों की उपस्थिति विवरण प्रस्तुत करेगा । सभी विवरणों को सत्यापित करने के बाद, कोचिंग शुल्क की दूसरी किस्त प्रतिपूर्ति मोड में संस्थानों को जारी की जाएगी । शेष वजीफा का भुगतान छात्रों को उनकी उपस्थिति के अनुसार सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में किया जाएगा ।
- योजना के अनुबंध 2 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार धन की दूसरी किस्त जारी करना पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर करेगा ।
- 2 और 3 वर्ष के लिए सहायता अनुदान उचित उपयोग प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष के अनुदान के साथ प्रशिक्षित छात्रों की सूची, पिछले वर्ष के धन के संबंध में लेखा परीक्षित खातों और पिछले वर्ष के दौरान प्रशिक्षित छात्रों के प्रदर्शन के बाद ही प्रभावित संस्थानों को जारी किया जाएगा ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को फैलोशिप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल/पीएचडी के लिए उच्च अध्ययन करने के लिए एससी श्रेणी से संबंधित छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में फैलोशिप प्रदान करना है ।

मुख्य विशेषताएं

यह योजना ऐसे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति वर्ष नई 2000 फैलोशिप (मानविकी/ सामाजिक विज्ञान के लिए 1500 जूनियर रिसर्च फेलो और विज्ञान स्ट्रीम के लिए 500 जूनियर रिसर्च फेलो) प्रदान करती है, जो एम.फिल/पीएच. डी. डिग्री के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए प्रदान करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा - यूजीसी (मानविकी/ सामाजिक विज्ञान के लिए) या यूजीसी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) नेट-जेआरएफ संयुक्त परीक्षा (इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान स्ट्रीम के लिए) की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (नेट-जेआरएफ) उत्तीर्ण की है ।

जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। 01-12-2019 से प्रभावी दरें इस प्रकार हैं:

सभी धाराओं में फैलोशिप - @ रु। 31,000 प्रति माह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (JRF)

@ रु. 35,000 प्रति माह शेष कार्यकाल (एसआरएफ) के लिए

मानविकी और सामाजिक विज्ञान के लिए आकस्मिकता - @ रु 10,000 (JRF) प्रति माह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए

@रु. 20,500 प्रति माह शेष कार्यकाल (एसआरएफ) के लिए

विज्ञान के लिए आकस्मिकता - @ रु12,000 प्रति वर्ष प्रारंभिक दो वर्षों के लिए

@रु. 25,000 शेष कार्यकाल के लिए प्रति वर्ष

शारीरिक और नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए एस्कॉर्ट / रीडर सहायता (सभी विषय) - @ रु। 2000 प्रति माह

@रु. 2000 प्रति माह

लाभार्थी

अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है - यूजीसी या यूजीसी-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (यूजीसी-सीएसआईआर) संयुक्त परीक्षा के जूनियर रिसर्च फैलोशिप (नेट-जेआरएफ) को उपरोक्त के संबंध में यूजीसी द्वारा परिणाम घोषित करने की तारीख से छह महीने के भीतर पात्र विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करना चाहिए और नामांकन फैलोशिप की तारीख से 01 वर्षों के भीतर पंजीकृत होना चाहिए, पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण के बाद ही प्रदान किया जाएगा ।

- सांसद के लिए नामांकन के बाद एचआईआईएल / पीएचडी इस योजना के तहत चयनित छात्र इस उद्देश्य के लिए यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप के लिए आवेदन करेंगे ।
- फैलोशिप के लिए इस योजना के तहत चुने गए छात्र यूजीसी की जेआरएफ योजना के तहत अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे, या केंद्र या राज्य सरकार या यूजीसी के समान निकायों से समान लाभ प्रदान करने वाले किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे ।
- दो साल के बाद, यदि पुरस्कार विजेता के शोध कार्य में प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो पीएचडी या एम.फिल के लिए नामांकित छात्रों के मामले में समय-समय पर जारी यूजीसी फैलोशिप दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप (एसआरएफ) के रूप में उसका कार्यकाल तीन साल की और अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा । + पीएच. डी.
- एम.फिल और पीएचडी के संयुक्त पाठ्यक्रमों के संबंध में, फैलोशिप शुरू में एम. फिल के लिए 2 साल के लिए और पीएच. डी. पाठ्यक्रम में स्नातक होने के बाद 03 साल के लिए प्रदान की जाएगी ।

- जेआरएफ और एसआरएफ के पुरस्कार की कुल अवधि एक साथ 60 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी (यानी फेलोशिप केवल 60 महीने के लिए देय होगी) /पूरा, निश्चित रूप से, जो भी पहले हो और किसी भी मामले में, किसी भी रुकावट या अंतराल अवधि सहित 6 साल की अवधि से अधिक नहीं होगी ।
- फेलोशिप का भुगतान अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए योजना के तहत फेलोशिप की मंजूरी की तारीख से किया जाएगा ।
- एलएन केस एक छात्र जिसने पहले ही मान्यता प्राप्त संस्थानों में एम.फिल/पीएचडी के लिए दाखिला लिया है, बाद में नेट जेआरएफ/यूजीसी-सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, वह इस योजना के तहत फेलोशिप के लिए पात्र होगा, बशर्ते वह इसके लिए आवेदन करे और उसे फेलोशिप से सम्मानित किया जाए, हालांकि, इसे मंजूर किए जाने की तारीख से
- यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /अनुसंधान संस्थान में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल/ पीएच. डी. पाठ्यक्रम करने वाले केवल छात्र फेलोशिप के लिए पात्र होंगे । किसी भी विश्वविद्यालय/ कॉलेज/ शैक्षणिक संस्थान/ केंद्रीय/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कर्मचारियों को फेलोशिप का लाभ उठाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही वे एम.फिल /पीएच. डी. पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन अवकाश या असाधारण छुट्टी पर हों ।

योजना का लाभ कैसे उठाएं?

- यूजीसी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।

- छात्रों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए चयन प्रत्येक यूजीसी-नेट-जेआरएफ या यूजीसी-सीएसआईआर नेट-जेआरएफ परीक्षा की योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

- जबकि एनएफएससी के तहत फेलोशिप के पुरस्कार के लिए योग्यता नेट परीक्षा के माध्यम से तैयार की जाएगी, ऐसे छात्रों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है। हालांकि, पर्याप्त ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश सुरक्षित नहीं किया है, उनका चयन भी नेट परीक्षा में योग्यता

के क्रम में किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

- जिन उम्मीदवारों ने पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें योजना के तहत जेआरएफ पुरस्कार पत्र जारी होने के 3 महीने के भीतर फेलोशिप में शामिल होना आवश्यक है। कोर्स में शामिल होने की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो 3 महीने के भीतर फेलोशिप में शामिल नहीं होते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- योग्य उम्मीदवार, जिन्होंने योजना के तहत फेलोशिप के लिए आवेदन के समय प्रवेश प्राप्त नहीं किया है, उन्हें पहले उपलब्ध अवसर पर किसी मान्यता प्राप्त शोध संस्थान में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल./पीएचडी के लिए प्रवेश प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन फेलोशिप दिए जाने की तारीख से तीन साल के बाद नहीं।

- पुरस्कार प्राप्त करने वाले को योजना के तहत फेलोशिप का लाभ उठाने की अनुमति देने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा पुरस्कृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की वास्तविकता का सत्यापन किया जाएगा।

- फेलोशिप प्रदान करने के संबंध में यूजीसी का निर्णय अंतिम होगा और इसके संबंध में यूजीसी के किसी भी निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

- परिणाम यूजीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। पुरस्कार पत्र यूजीसी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल से या यूजीसी द्वारा विज्ञापित के रूप में डाउनलोड किए जा सकते हैं।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

अनुसूचित जाति समुदायों के छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना को मजबूत किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालयों / संस्थानों के माध्यम से लागू किया जाता है। इन कार्यान्वयन निकायों को योजना के प्रावधानों के अनुसार छात्रावास भवनों के नए निर्माण के लिए, मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिए और इस योजना के तहत निर्मित छात्रावासों की आवधिक मरम्मत और रखरखाव के लिए योग्य केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह की छात्रावास सुविधाएं देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद हैं।

प्रमुख विशेषताऐं

- इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य छात्रावासों के निर्माण में तेजी लाना है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए, उनकी रोकथाम और उनके बीच में छोड़ने की दर में कमी की व्यापक दृष्टि की ओर।
- प्राथमिकता के रूप में, कम साक्षरता वाले जिलों के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों में 100 सीटों की क्षमता वाला एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाना है, जहां पहले से एक नहीं है।
- समयबद्ध तरीके से छात्रावासों की मरम्मत और उचित रखरखाव, निगरानी और समीक्षा के लिए एक प्रभावी तंत्र के साथ।
- बालिका एवं बालक छात्रावासों के निर्माण/विस्तार के लिए लागत मानदंड निम्नानुसार होंगे:

○ उत्तर पूर्वी क्षेत्र: 3.50 लाख प्रति कैदी

○ उत्तरी हिमालयी क्षेत्र: 3.25 लाख रुपये प्रति कैदी

- गंगा के मैदान और निचला: हिमालयी क्षेत्र में प्रति कैदी 3.00 लाख रुपये

- योजना के तहत अनुमत केंद्रीय सहायता के अलावा, प्रत्येक छात्र के लिए टेबल, कुर्सी और टेलीविजन, कंप्यूटर जैसी सामान्य सुविधाओं के लिए प्रावधान करने के लिए प्रति छात्र 5000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। , रसोई के उपकरण, आदि।
- छात्रावास के संचालन के बाद प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार कार्यान्वयन निकायों को परिचालन छात्रावासों की मरम्मत और रखरखाव के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। 50 कैदियों के एक छात्रावास के लिए 5 लाख रुपये तक, 100 कैदियों के लिए 10 लाख रुपये, 150 कैदियों के लिए 15 लाख रुपये, और इसी तरह की अन्य व्यवस्था की जा सकती है।

गर्ल्स हॉस्टल के लिए:

- योजना में निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

लड़कों के छात्रावासों के लिए:

- राज्य सरकारों को मैचिंग शेयर के आधार पर 50% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है
- केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को 100% केंद्रीय सहायता।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को 90% केंद्रीय सहायता। शेष 10% खर्च संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय/संस्थान को वहन करना होगा।
- राज्य के विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए केंद्रीय सहायता 45% है। शेष 55% लागत राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा 10:45 के अनुपात में वहन किया जाता है।
- प्रति छात्रावास क्षमता आमतौर पर 100 छात्रों से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, बड़ी क्षमता वाले छात्रावासों (अधिकतम 250 छात्रों तक) पर विचार किया जा सकता है। प्रत्येक छात्रावास के कमरे में कम से कम 2-3 छात्रों को समायोजित करना चाहिए।

लाभार्थी -

छात्रावास स्वीकृत करते समय अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाओं के बिना 15% या अधिक की अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्टैंड-अलोन छात्रावासों की तुलना में एकीकृत छात्रावासों (स्थापित शैक्षणिक संस्थानों का हिस्सा) को वरीयता दी जाएगी। राज्य सरकारें, छात्रावासों के निर्माण के लिए स्कूलों का चयन करते समय, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता देंगी जिनमें कोई छात्रावास नहीं है।

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष

उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मोदी सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष की शुरुआत की, जिसकी प्रारंभिक पूंजी रु। 200 करोड़। इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन को बढ़ाना है। उद्यम पूंजी निजी हिस्सेदारी का एक रूप है और एक प्रकार का वित्तपोषण है जो निवेशक स्टार्टअप कंपनियों और छोटे व्यवसायों को प्रदान करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें दीर्घकालिक विकास क्षमता है।इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदायों के उद्यमियों को उनके स्टार्ट-अप विचारों को वाणिज्यिक उद्यमों में अनुवाद करने में सक्षम बनाने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताऐं -

- अनुसूचित जाति समुदायों के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना, जो समाज के लिए धन और मूल्य पैदा करेंगे और साथ ही लाभदायक व्यवसायों को बढ़ावा देंगे ।
- यह योजना 2024 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) के साथ तालमेल में 1,000 नवीन विचारों का समर्थन करेगी। यह अगले कुछ वर्षों में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं की पहचान करेगा।
- इस कोष के तहत न्यूनतम राशि 10 लाख रुपये और अधिकतम राशि 15 करोड़ रुपये मानी जा सकती है। कुल सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य के दो गुना से अधिक नहीं होगी।
- अनुसूचित जाति समुदायों में महिलाओं और दिव्यांग युवाओं को विशेष वरीयता दी जाएगी।

लाभार्थी -

- इस योजना के तहत निर्माण, सेवाओं और संबद्ध क्षेत्रों में स्थापित की जा रही परियोजनाओं/इकाइयों पर विचार किया जाएगा, जिसमें स्टार्ट-अप भी शामिल हैं, जो यूनिट में तैनात धन से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करते हैं।
- ऐसी कंपनियां जिनके पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछले 12 महीनों से अनुसूचित जाति के उद्यमियों की कम से कम 60% हिस्सेदारी है।
- प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उद्यमियों द्वारा अनुसूचित जाति होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
- निवेश कंपनी के एससी प्रमोटर योजना के तहत बाहर निकलने तक कंपनी में 60% से नीचे अपनी हिस्सेदारी को कम नहीं करेंगे । हालांकि, योजना के तहत अर्ध-हिस्सेदारी उपकरणों के किसी भी रूपांतरण की स्थिति में, रणनीतिक निवेश, खरीद आदि, जिसके परिणामस्वरूप एससी उद्यमी की हिस्सेदारी कम हो जाती है, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) से पूर्व लिखित अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।
- 5 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियां, अधिमानतः योजना के तहत सहायता के लिए आने से पहले बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी परियोजना का मूल्यांकन करवाएंगे। इन आवेदकों के लिए ट्रस्ट/फंड मैनेजर द्वारा जारी की गई राशि बैंक द्वारा जारी ऋण किश्त के अनुपात में होगी।

योजना का लाभ कैसे उठाएं -

- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: www.vcfsc.in
- ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करें, जो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाएगा।
- आवेदक कंपनी के विवरण, पिछले वित्तीय वर्ष में शेयरधारिता पैटर्न के साथ-साथ वर्तमान, प्रस्तावित परियोजना के विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

- ऑनलाइन आवेदन जमा करें।

ऑनलाइन आवेदन के बाद, दस्तावेजों की निम्नलिखित सूची भौतिक रूप से आईएफसीआई कार्यालय को भेजी जानी है।

- कंपनी का एमओए और एओए
- प्रमोटरों का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- कंपनी के 3 साल के आईटी रिटर्न जैसे केवाईसी दस्तावेज (सहित। प्रमोटर पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, दो पासपोर्ट फोटो आदि।)
- कंपनी का सीए प्रमाणित शेयरहोल्डिंग पैटर्न
- चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोटरों का प्रमाणित निवल मूल्य विवरण
- वर्तमान बैंकर का नवीनतम स्वीकृति पत्र, यदि कोई पिछले 3 वर्षों का हो.
- तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) परियोजना का अध्ययन, यदि अगले 6 वर्षों के लिए उपलब्ध वित्तीय प्रक्षेपण
- डाक पता: आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (निवेश प्रबंधक - अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड) आईएफसीआई टॉवर, 16 वीं मंजिल, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 ।

पंचतीर्थ

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भाजपा के लिए यह एक सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने बाबासाहेब से जुड़े तीर्थ स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने में बहुत सफल प्रयास किए हैं। उन्होंने खुद कई ऐसे स्थलों का दौरा किया है, चाहे वह अंबेडकर जी के जन्मस्थान का दौरा हो या महाराष्ट्र में इंदु मिल की जमीन खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्मारक विकसित करना हो या दिल्ली में 15 जनपथ पर उनके महापरिनिर्वाण स्थल पर स्मारक का निर्माण करना हो।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विचारकों और दूरदर्शी लोगों ने हमारे देश की दिशा को अलग-अलग समय पर आकार दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के योगदान के लिए देश उनका ऋणी है। मोदी सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर युवा उनके दूरदर्शिता और विचारों को जानें। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थस्थलों के रूप में विकसित किया गया है। मोदी ने कहा कि यह 'पंचतीर्थ' आज की पीढ़ी का डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने का तरीका है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन के लिए भीम ऐप डॉ. अम्बेडकर की आर्थिक दृष्टि को केंद्र सरकार की श्रद्धांजलि है।

मुख्य विवरण

भारत सरकार ने डॉ बीआर अंबेडकर की याद में पंचतीर्थ की स्थापना की है। इसमें शामिल है:

- महू में अम्बेडकर जी की जन्मभूमि,
- लंदन में वह स्थान जहां यूके में पढ़ाई के दौरान रुके थे।
- दीक्षाभूमि नागपुर में, जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की।
- दिल्ली में **महापरिनिर्वाण स्थल**, और मुंबई में **चैत्य भूमि।**

1. **महू में स्मारक -** 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉ. अंबेडकर को उनके जन्मस्थान महू में श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इस स्मारक को नया जीवन दिया है। इस स्मारक की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा ने रखी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने **'ग्राम उदय से भारत उदय'** का आह्वान किया। बाबासाहेब की सोच और गरीबों के लिए उनके योगदान का जिक्र करते

हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बाबासाहेब के सिद्धांत को समझने के लिए श्रद्धा की भावना होनी चाहिए।

2. **दीक्षा स्थल पर स्मारक -** महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के गठन के बाद, दीक्षा स्थल को ए-क्लास पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित यह मांग पीएम मोदी की बाबासाहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती को चिह्नित करने की पहल से पूरी हुई। स्थल स्मारकों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए भूमि का तेजी से विकास किया जा रहा है।

3. **चैतन्य भूमि में स्मारक** - मुंबई में चैतन्य भूमि में बाबासाहेब अम्बेडकर स्मारक को विकसित करने का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। इसमें कई अड़चनें आईं, खासकर इंदु मिल से 12.5 एकड़ जमीन सालों से अटके रहने का मामला। जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी के सहयोग से इस प्रक्रिया को सुगम बनाया। महाराष्ट्र सरकार, जब वह भाजपा के अधीन थी, तब उन्होंने इंदु मिल की जमीन खरीदने और यहां एक स्मारक स्थल बनाने की पहल की थी। 2015 में, माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइट के लिए भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मारक स्थल का निर्माण सिर्फ चूना, पत्थर और ईंटों से ही नहीं बल्कि जनभागीदारी से किया जाएगा। माननीय पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र के प्रत्येक 40,000 गांवों से और देश के सभी राज्यों से एक पेड़ लगाने का आग्रह किया।

4. **अलीपुर रोड पर अम्बेडकर स्मारक -** अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 26, अलीपुर रोड, दिल्ली के एक बंगले में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां एक अनूठी इमारत की आधारशिला रखी। बाबासाहेब के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान को याद करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि बाबासाहेब को एक वर्ग विशेष तक सीमित रखना अन्याय होगा. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा कि उन्होंने स्मारक बनाने का फैसला किया है।

5. **लंदन हाउस -** माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने तीन मंजिला घर खरीदा, जहां डॉ. अंबेडकर रहते थे। इमारत को संग्रहालय में बदलने के लिए 800 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक सोच को समझने के लिए इस दुनिया के लोग इस जगह पर आकर्षित होंगे।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

आदिवासी समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, मोदी सरकार जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत सैकड़ों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण कर रही है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 27 जिलों में की जाएगी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का जोर न केवल अकादमिक शिक्षा बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी है।

मुख्य विवरण -

- 50% से अधिक एसटी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों के पास अब एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होगा।
- एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे और इसमें खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधायें होंगी।
- देश भर में, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 564 ऐसे उप-जिले हैं, जिनमें से 102 उप-जिलों में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है। इस प्रकार वर्ष 2022 तक 462 नए विद्यालय खोले जाने हैं।
- एकलव्य आदर्श आवासीय का फोकस दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है।
- न केवल उन्हें उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठाने और सरकारी और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नौकरियों के रूप में सक्षम करने के लिए, बल्कि गैर एसटी आबादी के समान शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए भी।
- राज्य सरकार द्वारा स्कूल, खेल के मैदान, छात्रावास, आवासीय आवास आदि के लिए पर्याप्त भूमि नि:शुल्क दी जाएगी।
- लड़के और लड़कियों के लिए सीटों की संख्या समान होगी।
- इन स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह से नि:शुल्क होगी।

- प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 60 छात्र हो सकते हैं, अधिमानता 30 छात्रों के 2 वर्गों में और स्कूल की कुल स्वीकृत संख्या 480 छात्र होगी।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर (कक्षा XI और XII), विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान और मानविकी के तीनो धाराओं के लिए प्रति कक्षा तीन खंड होंगे।
- प्रत्येक अनुभाग की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 छात्र हो सकती है।

लाभार्थी -

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयो के लाभार्थी जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) और केंद्रीय विद्यालयों (केवी) के बीच अपना स्थान बना लेते हैं।
- कक्षा XI और XII और कक्षा VI से X तक के लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षिक सहायता पर अलग-अलग ध्यान दिया गया है, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें -

- आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर जाएं: tribal.nic.in/EMRS.aspx
- अब इस होम पेज पर एकलव्य स्कूल एडमिशन फॉर्म 2022 ऑप्शन पर क्लिक करें।
- एकलव्य स्कूल एडमिशन फॉर्म 2022 विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मिलेगा।
- आपको अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि, आवासीय और संपर्क विवरण आदि के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- छात्र की आयु उस मानक के अनुरूप होनी चाहिए जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। उदाहरण के लिए, सत्र 2020/2021 में कक्षा-V में **पढ़ने वाले / उत्तीर्ण** छात्रों के लिए, आयु 01/01/2021 के अनुसार 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र स्कूल के कार्यालय में जमा किया जा सकता है या डाक पते के माध्यम से भेजा जा सकता है।
- निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न होने चाहिए:
  - जन्म प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स कॉपी।

- जाति प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स कॉपी।
- हाल ही में पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां।

- अंत में फॉर्म को संबंधित राज्य के स्कूल में भेज दें।

अनुसूचित जनजातियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

भारत सरकार कक्षा 9वीं और 10वीं के प्री-मैट्रिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा के स्तर में सुधार करने और उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। यह निम्न-आय वाले परिवार के छात्रों को भी मदद करता है और इस स्तर पर छोड़ने वालों को कम करता है। राज्य सरकार यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान करेगी जिनमें वे अधिवासित हैं।

मुख्य विवरण -

इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का मूल्य नीचे दिया गया है:

छात्रवृत्ति	**अनावासी छात्र**	**छात्रावासी**
Ad-hoc grants and Books	Rs.750	Rs.1000
Scholarship for ten months	Rs .150	Rs.350

विकलांग छात्रों के लिए भत्ता:

- मासिक पाठक भत्ता - 160 / -
- रुपये मासिक परिवहन भत्ता - 160 / -
- रुपये मासिक सहायक भत्ता - 160 / -

- मासिक अनुरक्षण भत्ता - 160 / -
- मासिक कोचिंग भत्ता मंदबुद्धि छात्र- रु. 240/-

लाभार्थी -

- उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- उम्मीदवार की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को अन्य सरकारों से कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल या केंद्रीय / राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नियमित और पूर्णकालिक छात्र होना चाहिए।

योजना का लाभ कैसे उठाएं -

- उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मई से जून तक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवारों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाना चाहिए: https://scholarships.gov/
- आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें:
  - उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र।
  - पारिवारिक आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र।
  - उम्मीदवार के बैंक खाते का विवरण।
- आधार संख्या और पासपोर्ट साइज फोटो।
- अंत में, दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन को संस्थान के प्रमुख के पास जमा करें।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (बारहवीं कक्षा के बाद)

यह स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक स्तर पर पढ़ने वाले एसटी छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित और राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ये छात्रवृत्ति पुरस्कार पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रशासित। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

मुख्य विवरण -

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनके द्वारा नामांकित पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति नीचे दी गई है:

पाठ्यक्रम	**छात्रवृत्ति भत्ता**	
	अनावसी	**छात्रावासी**
समूह - I डीग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एम.फिल., पीएच.डी. इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योजना, वास्तुकला इत्यादि। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस चिकित्सा और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सीए / आईसीडब्ल्यूए / सीएस / आईसीएफए आदि। एमफिल, पीएचडी, अनुसंधान कार्यक्रम, एलएलएम।	Rs.1200	Rs.500
समूह - II स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एलएलबी, नर्सिंग, बीएफएस, और आगे में डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और डिग्री के लिए अग्रणी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो समूह - I में शामिल नहीं हैं।	Rs. 820	Rs.530

समूह - III अन्य सभी पाठ्यक्रम जो समूह I और II में शामिल नहीं हैं।	Rs.570	Rs.300
समूह - IV पोस्ट-मैट्रिक स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जैसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई इत्यादि।	Rs.380	Rs.230

लाभार्थी-

- उम्मीदवार जो एसटी समुदाय से संबंधित हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवारों की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त स्कूलों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों में पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट-माध्यमिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहा होना चाहिए।

योजना का लाभ कैसे उठाएं -

- उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर मई से जून तक एसटी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवारों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाना चाहिए: https://scholarships.gov.in/
- उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने चाहिए:
  - डिप्लोमा, डिग्री प्रमाण पत्र और मार्कशीट की सत्यापित प्रतियां
  - पासपोर्ट साइज फोटो
  - उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र और पारिवारिक आय घोषणा।

- भरे हुए आवेदन को दस्तावेजों के साथ संस्थान के प्रमुख को जमा करें।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुदान और छात्रवृत्ति

मोदी सरकार एसटी समुदायों के छात्रों को एम. फिल और पीएचडी करने के लिए अनुदान के रूप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। शिक्षकों/पेशेवरों और रोजगार के अन्य उच्च चरणों के पदों को धारण करने के लिए योग्य पेशेवर बनाने की दृष्टि से पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य मेधावी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रबंधन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून आदि जैसे पेशेवर क्षेत्रों में, सरकारी और निजी दोनों तरह के उत्कृष्ट संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख विशेषताऐं -

अनुदान के लिए स्थान:

- प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली नई फेलोशिप की कुल संख्या 750 होगी।
- अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता के मामले में, एक वर्ष के दौरान उपलब्ध फेलोशिप की संख्या को अगले शैक्षणिक सत्र में आगे बढ़ाया जाएगा।
- अनुदान मे स्थान की संख्या पर राज्य/विश्वविद्यालय अनुसार कोई सीमा नहीं है।
- यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध पुरस्कारों की संख्या से अधिक है, तो MoTA अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों के मानदंड के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगा। उप-श्रेणियों को निम्नलिखित प्राथमिकता में स्लॉट प्रदान किए जाएंगे:
    - Person with Disability (PWD) - 3% of total slots
    - PVTG - 50 slots
    - बीपील - 50 slots
    - महिला - 30% of total slots

- यदि उपरोक्त उप-श्रेणी के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो पात्र एसटी उम्मीदवारों को अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा के आधार पर इंटर-से मेरिट के आधार पर स्लॉट आवंटित किए जाएंगे।

अनुदान के लिए स्थान:

- प्रत्येक वर्ष नई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 1000 है।
- शीर्ष श्रेणी के संस्थान के लिए संस्थान के अनुसार और संकाय के स्थान की कोई सीमा नहीं है। यदि उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध पुरस्कारों की संख्या से अधिक है तो मानदंड का पालन किया जाएगा। जैसे-
    - दिव्यांगो के लिए (PWD) - कुल स्थानों का 3 %
    - PVTG - 50 स्थान
    - बीपीएल - 50 स्थान
    - महिलाएं - कुल स्थानों का 30%
- संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए अनुसूचित जनजाति वर्ग के शेष बचे हुए उम्मीदवार इस मंत्रालय द्वारा प्रशासित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे छात्र अन्यथा उक्त योजना के लिए पात्र हों।

लाभार्थी -

अनुदान के लिए:

- एसटी समुदाय से संबंधित उम्मीदवार को अनुदान के लिए पात्र होने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।
- उम्मीदवार को यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थानों में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल / पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए।

- अनुसूचित जनजाति के छात्र एक बार अनुदान के लिए पात्र माने जाने के बाद उसी अध्ययन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- छात्र द्वारा प्रवेश प्राप्त करने और शोध कार्य शुरू करने के बाद अनुदान देय होगी।
- सीनियर रिसर्च अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक उम्मीदवार को इस संबंध में निर्धारित यूजीसी / आईसीएआर मानदंडों को पूरा करना होगा।

छात्रवृत्ति के लिए:

- अनुसूचित जनजाति के छात्र जिन्होंने संबंधित संस्थानों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिसूचित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है, वे योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
- इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार की कुल पारिवारिक आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 6.0 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- छात्र द्वारा प्रवेश प्राप्त करने और कक्षाओं में भाग लेने के बाद छात्रवृत्ति देय होगी।
- प्रदान की गई छात्रवृत्ति, छात्र के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, पाठ्यक्रम के पूरा होने तक जारी रहेगी।

योजना का लाभ कैसे लें -

- अनुदान /छात्रवृत्ति की योजना का विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों, रोजगार समाचारों में किया जाएगा।
- अधिसूचित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पंजीकरण/प्रवेश प्राप्त करने के बाद, अनुदान के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनकी पात्रता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए जाँच करें,
- राष्ट्रीय जनजातीय फैलोशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें: https://fellowship.tribal.gov.in/
- अनुसूचित जनजाति के लिए योजना की अनुदान/छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में। चयनित उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर आधार संख्या प्राप्त करनी चाहिए।

लाभार्थी बैंक खाते की आधार सीडिंग लंबित होने पर, भुगतान एनईएफटी के माध्यम से बैंक खाते में किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृति

मोदी सरकार ने चयनित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री, पीएचडी, और पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक योजना शुरू की। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक वर्ष 20 स्थान/पुरस्कार उपलब्ध हैं, जिनमें से 6 स्लॉट/पुरस्कार विशेष रूप से लड़कियों के लिए उपलब्ध हैं।

प्रमुख विशेषताऐं -

- इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी ।
- इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से धन की उपलब्धता के अधीन 100 छात्रवृत्ति की पेशकश की जाती है ।
- जो छात्र विदेश में पीएचडी या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अपनी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, वे हो सकते हैं इस योजना का लाभ लेने में सक्षम ।
- छात्रवृत्ति के पुरस्कारों में से 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं ।
- स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों का अनुसरण करने वाली छात्रों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है ।
- यदि छात्र ने पहले ही मास्टर या पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है तो ऐसे छात्र इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है ।

- पुरस्कार की अवधि: निर्धारित वित्तीय सहायता पाठ्यक्रम/अनुसंधान के पूरा होने तक या निम्नलिखित अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रदान की जाती है।

पाठ्यक्रम	**अवधि**
पोस्ट-डॉक्टोरल शोध	1 और 1/2 वर्ष (डेढ़ वर्ष)
पीएच.डी	4 वर्ष
मास्टर डिग्री	1/2/3 वर्ष (एक/दो/तीन वर्ष)

लाभार्थी -

- राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:
- शैक्षिक योग्यता:
  - पोस्ट-डॉक्टोरल के लिए: प्रासंगिक मास्टर डिग्री और पीएच.डी. में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों को जो अपने मौजूदा पद और नियोक्ता के बदले में हैं।
  - पीएचडी: प्रासंगिक मास्टर डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, विशेष रूप से उन्हें जो अपने मौजूदा पद और नियोक्ता के स्थान पर हैं।
  - मास्टर डिग्री के लिए: प्रासंगिक स्नातक डिग्री में 55% अंक या समकक्ष ग्रेड। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, खासकर उन लोगों को जो अपने मौजूदा पद और नियोक्ता के अनुरूप हैं।

- आयु: 1 जुलाई, 2020 को उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आय सीमा: सभी स्रोतों से परिवार की कुल आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6,00,000/- (ऐसे भत्तों को छोड़कर जिन्हें आयकर के प्रयोजन के लिए कुल आय के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है) जैसा कि नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- बच्चों के मानदंड: एक ही माता-पिता से केवल एक बच्चे को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सकता है।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें

1. इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आम तौर पर शैक्षणिक वर्ष के दिसंबर में होती है।
2. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना चाहिए: https://overseas.tribal.gov .in/
3. उम्मीदवारों को आवेदन में सही और वैध जानकारी दर्ज करनी चाहिए।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।

(अ) उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र और पारिवारिक आय प्रमाण पत्र ।

(ब) उम्मीदवार का अधिवास प्रमाण पत्र ।

(स) उम्मीदवारों के बैंक विवरण ।

(द) उम्मीदवार आधार संख्या और हस्ताक्षर के साथ पासपोर्ट आकार की फोटो ।

5. इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन जमा करें।

प्रधान मंत्री वन धन योजना

माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि "वन धन, जन धन और गोवर्धन भविष्य में ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को बदलने का आधार होगा।" भारत की आदिवासी आबादी के लिए एक स्थायी आजीविका स्थापित करने का यह दृष्टिकोण प्रधान मंत्री वन धन योजना को सूचित करता है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) 27 राज्यों और 307 जिलों में वन धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है, जिसमें लघु वन उपज (एमएफपी) और महत्वपूर्ण वनवासी आदिवासी आबादी की उपलब्धता है। एमएफपी का संग्रह और बिक्री आदिवासी वार्षिक आय में 40-60% का योगदान देता है और आगे "मूल्य संवर्धन" उनकी आय को तीन गुना या चौगुना करने में मदद करता है। कार्यक्रम आदिवासियों के सामने आने वाली विकट समस्याओं का समाधान करता है, जैसे बिना अधिकार वाली भूमि/घर पर कब्जा; लघु वनोपज के संग्रहण में प्रतिबंध; बिचौलियों द्वारा शोषण; राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य अभ्यारण्यों से विस्थापन, वन ग्रामों में विकास का अभाव आदि।

प्रमुख विशेषताऐं -

- जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करने और उन्हें उद्यमियों में बदलने के लिए एक पहल।
- विचार आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (VDVKCs) को मुख्य रूप से वनाच्छादित आदिवासी जिलों में स्थापित करना है।

- एक VDVK क्लस्टर में 15 आदिवासी SHG/वन धन केंद्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 20 आदिवासी NTFP संग्रहकर्ता या कारीगर होंगे, यानी प्रति क्लस्टर लगभग 300 लाभार्थी।
- केंद्र सरकार ने ट्राइफेड के साथ 100% वित्पोसित 15 लाख रुपया प्रत्येक 300 सदस्य वन धन केंद्र क्लस्टर के लिए जारी करने का प्रावधान किया है।
- इस मिशन के माध्यम से, ट्राइफेड का लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अपने संचालन का विस्तार करना और मिशन मोड में विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रम शुरू करना है।
- कई वीडीवीके, हाट बाजारों, मिनी ट्राइफूड इकाइयों, सामान्य सुविधा केंद्रों, ट्राइफूड पार्कों, SFRUTI (पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए कोष की योजना) समूहों, जनजातियों भारत खुदरा स्टोर, ट्राइफूड और जनजातियों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, भारत ब्रांड की स्थापना इस मिशन के तहत किया जाएगा।

लाभार्थी -

- 17 वीडीवीके में वर्तमान में 249 एसएचजी के 4256 लाभार्थी शामिल हैं, जो झाड़ू घास, आंवला इमली, गंधकी आदि जैसे लघु वन उत्पादों की खरीद और मूल्यवर्धन के लिए हैं।
- वीडीवीके का गठन 10 आदिवासी वन धन विकास स्वयं सहायता समूह (SHG) के साथ किया जाएगा।
- प्रत्येक एसएचजी में 30 एमएफपी संग्रहकर्ता शामिल होंगे अर्थात प्रति केंद्र लगभग 300 लाभार्थी (स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता के अधीन।

- एसएचजी के 50 लाभार्थी आदिवासी होंगे और एसएचजी का नेतृत्व एक आदिवासी सदस्य करेगा जो लाभार्थी होगा।
- आजीविका मिशन के तहत बहुसंख्यक आदिवासी सदस्यों के साथ प्रचारित कार्यात्मक एसएचजी के साथ अभिसरण को वरीयता दी जाएगी।
- यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए एक तंत्र है।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ -

1. जिले में वन धन विकास केंद्रों की पहचान और स्थापना की जिम्मेदारी संबंधित जिला कार्यान्वयन इकाई की होगी।
2. एक विशिष्ट वन धन विकास एसएचजी में कम से कम 60 % जनजातीय सदस्यों के साथ लगभग 30 सदस्यों (न्यूनतम 20 जरूरी है)
   - एमएफपी संग्रहकर्ता शामिल होंगे।
   - एक परिवार का एक सदस्य स्वयं सहायता समूह का हिस्सा होना चाहिए। एसएचजीसी में अधिमानतः महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
   - एसएचजी के समूह के नेता को एक आदिवासी व्यक्ति होना चाहिए जो एक प्राकृतिक नेता के रूप में पहचाना जाता है। समूह के नेता की पहचान स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की जानी चाहिए। इसी तरह, एक उप समूह नेता की भी पहचान की जाएगी जो अधिमानतः एक आदिवासी होगा।
3. लगभग 10 स्वयं सहायता समूहों का एक समूह जो एक निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्र में काम कर रहा है, अधिमानतः उसी या आसपास के गांवों में, एक वन धन विकास केंद्र बनाएगा।

4. जिला कार्यान्वयन इकाई वन धन विकास एसएचजी के लिए संभावित जनजातीय संग्रहकर्ताओं की पहचान करने के लिए एक टीम को शामिल करेगी।

5. आजीविका और डीओएनईआर (पूर्वोत्तर राज्यों में) के तहत पहले से ही कार्यरत आदिवासी एसएचजी को अपनाने के लिए वरीयता दी जाएगी।

6. यदि आजीविका / डोनर एसएचजी उपलब्ध नहीं हैं, तो ऊपर दिए गए मानदंडों के अनुसार एक नया एसएचजी बनाया जा सकता है। एक नए एसएचजी के मामले में, एसएचजी का एक विशिष्ट नाम और आईडी होगा।

7. जिला कार्यान्वयन इकाई वन धन विकास एसएचजी के गठन के लिए ऐसे एसएचजी सदस्यों की पहचान करने के लिए हैंडहोल्डिंग संगठनों/एनजीओ आदि से परामर्श कर सकती है।

8. यदि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आवश्यकता महसूस की जाती है तो वन धन विकास एसएचजी इस उद्देश्य के लिए एक नया बैंक खाता भी खोल सकता है। इसके लिए आजीविका दिशानिर्देशों के अनुसार एक नया बैंक खोलने के उपाय अपनाए जा सकते हैं।

9. एसएचजी के लिए, लाभार्थी के घर या घर के हिस्से या किसी भी उपलब्ध सरकारी / ग्राम पंचायत भवन में आवश्यक भवन बुनियादी ढांचे का प्रावधान स्थापित किया जाएगा। जिला कार्यान्वयन इकाई ऐसे सरकारी/ग्राम पंचायत भवनों की पहचान करने में स्वयं सहायता समूह की सहायता करेगी।

10.10.जिला कार्यान्वयन इकाई द्वारा लगायी गयी टीम लगभग 10 ऐसे स्वयं सहायता समूहों का समूह बनाकर वन धन विकास केंद्र बनाएगी और उन्हें एक सरकारी आवंटित करेगी। / ग्राम पंचायत / निजी भवन। यदि 10 एसएचजी उपलब्ध नहीं हैं, तो उचित

संख्या में एसएचजी तय किए जा सकते हैं (लेकिन कम से कम 7 एसएचजी और कुल 200 एमएफपी संग्रहकर्ता), बशर्ते वन धन संचालन केंद्र के लिए व्यवहार्य हो।

11. प्रत्येक वन धन विकास केंद्र का एक विशिष्ट नाम और आईडी होगा।
12. प्रत्येक वन धन विकास केंद्र क्लस्टर में प्रत्येक एसएचजी से एक प्रतिनिधि (अधिमानतः समूह नेता) से मिलकर एक प्रबंध समिति बनाएगा। सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से एक समिति के नेता की पहचान की जाएगी। प्रबंध समिति में खाता रखने, खरीद, प्रशिक्षण, मूल्यवर्धन और विपणन के लिए नामित व्यक्ति होंगे।
13. वन धन विकास केंद्र वन धन संचालन के उद्देश्य से एक नया बैंक खाता खोलेगा। केंद्र स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक खाता खोलने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करेगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए योजना

इस योजना के माध्यम से लघु वनोपज (एमएफपी) की चुनिंदा सूची के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जाता है ताकि वंचित वनवासियों को सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित किया जा सके और उनके सशक्तिकरण में सहायता की जा सके। ट्राइफेड, इन आदिवासी लोगों की आजीविका में सुधार और सशक्तिकरण में शामिल शीर्ष राष्ट्रीय संगठन के रूप में, योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप, जो इसी योजना का एक घटक है, एमएसपी को आगे बढ़ाता है और आदिवासी संग्रहकर्ताओं और वनवासियों और घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में उभरा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त जमीन खो नहीं है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन को मजबूत करने और आदिवासी आबादी के सशक्तिकरण में योगदान करने के लिए, ट्राइफेड ने एमएसपी और एमएफपी योजना और वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप के चरण की शुरुआत की है। ट्राइफेड देश भर में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्ण परिवर्तन के लिए काम करना जारी रखे हुए है।

प्रमुख विशेषताऐं -

- सुनिश्चित करें कि आदिवासी आबादी को उनके द्वारा जंगल से एकत्र की गई उपज का लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करें।
- संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन में वनवासियों के प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। आदि, संसाधन आधार की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए।
- कवरेज: पहले, योजना को केवल आठ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ाया गया था और 12 एमएफपी के लिए एमएसपी तय किया गया था। बाद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया गया।
- एमएफपी की कुल संख्या सूची के अनुसार आच्छादित 49 है।
- योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। एमएसपी ट्राइफेड की तकनीकी मदद से मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

कैसे मिलेगा योजना का लाभ -

- एमएफपी के लिए शामिल उत्पादों की सूची देखें: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1693540

- वन अधिकार अधिनियम की धारा 2 (i) एक लघु वन उत्पाद (एमएफपी) को पौधों की उत्पत्ति के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पादों के रूप में परिभाषित करती है और इसमें बांस, ब्रशवुड, स्टंप, बेंत, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू / केंडू के पत्ते, औषधीय पौधे आदि शामिल हैं। ।
- इस योजना के तहत हाल ही में शामिल किए गए कुछ उत्पाद हैं: तसर कोकून, सूखा हाथी सेब, बांस के शाखा, मलकंगनी के बीज और सूखी जंगली मशरूम, अन्य।

ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल: ट्राइफेड ने अपना ई-कॉमर्स पोर्टल स्थापित किया है।

वनबंधु कल्याण योजना

"हमारे आदिवासी समुदायों ने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और हमारे जंगलों के संरक्षण के लिए रास्ता दिखाया है। वनबंधु कल्याण योजना के साथ, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय अपनी प्राथमिकताओं से वंचित न रहें, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वार्षिक योजना में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें प्रारंभिक आवंटन 100 करोड़ रुपये का किया गया है। वीकेवाई मोटे तौर पर एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य परिणाम-आधारित दृष्टिकोण के साथ जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लक्ष्य को सुनिश्चित करेगा एवं केंद्र और राज्य सरकारों के के तहत कवर किए गए विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के माध्यम से जनजातीय लोगों को सभी इच्छित लाभ सामान और सेवाएं प्रदान करें। जनजातीय उप-योजनाएँ वास्तव में उपयुक्त अभिसरण के माध्यम से उन तक पहुँचती हैं। वीकेवाई के माध्यम से, विकास की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ - साथ मॉडल ब्लॉक के रूप में अनुसूची V राज्यों में पिछड़े ब्लॉकों को विकसित करने की योजना बनाई गई है।

प्रमुख विशेषताऐं -

- गुणात्मक और सतत रोजगार।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा।
- जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित आर्थिक विकास।
- सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधायें।
- सभी के लिए आवास।
- सभी के लिए सुरक्षित पेयजल।

- इलाके के अनुकूल सिंचाई सुविधाएं। पास के शहर/शहरों से संपर्क के साथ मजबूत सड़कें।
- बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता।
- शहरी विकास।
- मजबूत संस्थागत तंत्र। (ITDAs/ITDPs)
- आदिवासी सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और संरक्षण।
- आदिवासी क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देना।

धन्यवाद